

17

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 115/2021

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, ग्राम कुशलपुरा, पो0 भालोठ, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू पिन
कोड 333515, मो0न0 9319913706

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 22.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.07.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 115/2021 पर दिनांक 05.07.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1837-38 दिनांक 05.07.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16(4) (5)न्याय/सू0अ0/20/1495 दिनांक 09.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, ग्राम कुशलपुरा, पो0 भालोठ, तहसील बुहाना का आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर 07.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16(4) (5)न्याय/सू0अ0/09/135 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा निजी सहायक, जिला कलक्टर झुंझुनू को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस में इस कार्यालय में भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया। निजी सहायक ने अपने पत्र क्रमांक 373 दिनांक 26.04.2021 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 से प्राप्त सूचना इस कार्यालय में भिजवाई। जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 27.04.2021 व आरटीआई पोर्टल के क्रमांक 504918 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी को प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लो0सू0अ0 (अति0 जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16 (4) (5)न्याय/सू0अ0/20/1495 दिनांक 09.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर

17

निवेदन किया कि अपीलार्थी पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र ईश्वर सिंह, ग्राम कुशलपुरा, पो0 भालोठ, तहसील बुहाना का आवेदन पत्र आरटीआई पोर्टल पर 07.04.2021 को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ16 (4)(5) न्याय/सू0अ0/09/135 दिनांक 23.04.2021 के द्वारा निजी सहायक, जिला कलक्टर झुंझुनूं को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 7 दिवस में उनके कार्यालय में भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया। निजी सहायक ने अपने पत्र क्रमांक 373 दिनांक 26.04.2021 के द्वारा अधीक्षण अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0 से प्राप्त सूचना उनके कार्यालय में भिजवाई। जिसकी सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 144 दिनांक 27.04.2021 व आरटीआई पोर्टल के क्रमांक 1515504918 दिनांक 27.04.2021 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 22.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)

जिला कलक्टर झुंझुनूं